28-4-21

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या–1214/पांच–6–2021

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक 28 अप्रैल, 2021**

विषयः–उत्तर प्रदेश के समस्त निजी चिकित्सालयों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–11फ/2021–22/3314, दिनांक 28.04.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकार द्वारा दिसम्बर, 2020, जनवरी, 2021 में सभी निजी चिकित्सा संस्थानों से अपने चिकित्सालयों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराने को कहा था। सभी निजी चिकित्सा संस्थानों ने नवीनीकरण से सम्बन्धित प्रपत्र एवं शपथ पत्र आदि ऑनलाइन भरने के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यालय में जाकर जमा भी करा दिये और उसके बाद जनवरी में प्रदेश के लगभग सभी निजी चिकित्सा संस्थानों के नवीनीकरण कर दिये गये, जो कि दिनांक 30.04.2021 तक के लिये ही मान्य है। कोरोना काल में 03 माह पूर्व किये गये नवीनीकरण को फिर से करने का कोई औचित्य नहीं है। वही प्रक्रिया दोहरायी जायेगी, जिसमें सभी अस्पतालों के चिकित्सकों और टेक्निकल स्टाफ को कोर्ट से अपना शपथ पत्र बनवाना होगा। अन्य सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा और जरूरी प्रपत्र जमा कर आनलाइन जमा करने के बाद वही सभी प्रपत्र मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में जाकर जमा कराने होंगे। कोरोना महामारी के इस काल में प्रदेश के निजी चिकित्सालयों के चिकित्सक सरकार के साथ और सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुये अपनी जान की परवाह किये बिना कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अतः कोरोना महामारी के इस काल को देखते हुये इस वर्ष पूर्व में (03 माह पूर्व) जमा किये गये प्रपत्रों के आधार पर ही निजी चिकित्सालयों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण को दिनांक 30.04.2022 तक करने के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.04.2021 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम आदि के नवीनीकरण हेतु आवश्यक शासकीय आदेश/निर्देश जारी कराने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस वर्ष पूर्व में जमा किये गये प्रपत्रों के आधार पर प्रदेश के समस्त निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम आदि के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की समय–सीमा एतदद्वारा दिनांक 31.07.2021 तक बढ़ायी जाती है। तदनुसार अग्रत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
28.4.21
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1214 (1)/पांच–6–2021 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,
(प्रांजल यादव)
विशेष सचिव।

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उ0प्र0
कृपया उक्त का अनुपालन तत्काल नियमानुसार सुनिश्चित करें।

Co_2021@Ashu

11-मई..1022